<u>रजिस्टर्ड डाक द्वारा</u>

संख्याः 06/2020/579 प्रो०/51-2019-14(06)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

<u>मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊः दिनांक 16 जून, 2019

विषयः <u>राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 734/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 31 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 1,68,837=00 (रूपये एक लाख अड़सठ हजार आठ सौं सैंतीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक**	**<u>धनराशि</u>**
1-	श्री रामशंकर कठेरिया, मा० अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 01-07-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-32 इ०टी०- 7599, देयक संख्याः एएलडी-45, दिनांक 20-07-2018	रू० 8,452=00
2-	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आईएएस, संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 19-07-2018 से 21-07-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-70 इ०टी०- 7599, देयक संख्याः एएलडी-45, दिनांक 28-07-2018	रू० 27,453=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3-	मा० न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 21-07-2018 से 22-07-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-70 जे०एन०- 4504, देयक संख्याः एएलडी-45, दिनांक 28-07-2018	रू० 11,026=00
4-	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा। दिनांक 21-07-2018 से 22-07-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः एएलडी-48, दिनांक 28-07-2018	रू० 18,060=00
5-	मा० न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र कुमार जी, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 26-07-2018 से 27-07-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः एएलडी-51, दिनांक 28-07-2018	रू० 13,546=00
6-	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, उड़ीसा। दिनांक 28-02-2019 से 03-03-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः एएलडी-164, दिनांक 21-03-2018	रू० 36,120=00
7-	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, उड़ीसा। दिनांक 07-02-2018 से 10-02-2018, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः एएलडी-156, दिनांक 27-02-2018	रू० 36,120=00
8-	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, उड़ीसा। दिनांक 17-02-2019 से 18-02-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6572, देयक संख्याः पीआरजे-115, दिनांक 24-10-2019	रू० 18,060=00
	(रूपये एक लाख अड़सठ हजार आठ सौं सैंतीस मात्र) कुल योग	रू० 1,68,837=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

३- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 08 देयक मूलरूप में

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 06/2020/579 प्रो०/51-2019-14(06)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रयागराज।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।